



BULANDSHAHR POLICE



दिनांक 27 मार्च, 2024

थाना कोतवाली नगर

बंद मकानों की रैकी कर चोरी करने वाले गिरोह के 03 शातिर सदस्य गिरफ्तार, कब्जे से 19 हजार रुपये नकद, सोने-चाँदी के आभूषण, 01 मोटरसाइकिल व अवैध असलहा, कारतूस बरामद।

जनपद में अपराधों पर अंकुश लगाये जाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 27-03-2024 को थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा एक अभिसूचना के आधार पर 03 अभियुक्तों को चोरी किये गये 19 हजार रुपये नकद, सोने-चाँदी के आभूषण, 01 मोटरसाइकिल व अवैध असलहा, कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता-

- 1- अरमान पुत्र रहीश निवासी टावर वाली गली सरायधारी थाना कोतवाली नगर बुलन्दशहर।
2. आबिद पुत्र करीम निवासी मनिहारो वाला कुआ मौहल्ला रूकनसराय थाना कोतवाली नगर जनपद बुलन्दशहर।
3. दानिश पुत्र हाकमीन निवासी मनिहारो वाला कुआ मौहल्ला रूकनसराय थाना कोतवाली नगर जनपद बुलन्दशहर।

बरामदगी

- 1- 19,000/- रुपये नकद
- 2- 01 चैन (पीली धातु), 03 अगूठी (पीली धातु), 01 कंठी (पीली धातु), 01 गले का कोलर (पीली धातु), 01 तगडी (सफेद धातु), 01 जोडी पाजेब (सफेद धातु)
- 3- 01 मोटरसाइकिल अपाची नम्बर – UP 13CA 1526 (घटना में प्रयुक्त)
- 4- 03 तमंचा 315 बोर, 03 जिन्दा कारतूस
- 5- 18 जिन्दा कारतूस 0.32 बोर
6. 01 कूलर का एडजेस्ट फैन व स्टेबिलाईजर

अभियुक्तगण शातिर किस्म के चोर/अपराधी हैं। जिनके द्वारा बंद मकानों की रैकी कर उनके ताले तोड़कर चोरी की घटना कारित करते हैं तथा चोरी किये गये सामान को आपस में बांट लेते हैं। अभियुक्तों से बरमाद मोटरसाइकिल गिरफ्तार अभियुक्त अरमान की हैं जिसका प्रयोग अभियुक्तों द्वारा घटना कारित करने में किया जाता है।

अभियुक्त द्वारा दिनांक 21.03.2024 को थाना सिकन्द्राबाद क्षेत्रान्तर्गत मौहल्ला टूक्कीगल की बगीची गायत्री नगर में बन्द मकान मे ताला तोड़कर आभूषण व रूपये चोरी करने की घटना कारित की गयी थी। जिसके सम्बन्ध मे थाना सिकन्द्राबाद मे मु0अ0स0-221/24 धारा 457/380 भादवि पंजीकृत है।

अभियुक्तों द्वारा दिनांक 22.03.2024 को थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत दिन मे ही मौहल्ला राधानगर में एक घर से नगदी, आभूषण, स्टेपलाईजर व एडजेस्ट किट चोरी करने की घटना कारित की गयी थी। जिसके सम्बन्ध मे थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0स0-236/2024 धारा 380 भादवि पंजीकृत है।

अभियुक्तों द्वारा दिनांक 28.01.2024 की रात्रि में थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत मौहल्ला साई मन्दिर में एक घर में आभूषण व नगदी चोरी करने की घटना कारित की गयी थी। जिसके सम्बन्ध मे थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0स0-65/24 धारा 380 भादवि पंजीकृत है।

अभियुक्त आबिद का आपराधिक इतिहास-

- 1- मु0अ0स0 69/2018 धारा 22/8बी एनडीपीएस भादवि कोतवाली नगर बुलन्दशहर।
- 2- मु0अ0स0 294/21 धारा 323/504/506 भादवि थाना कोतवाली नगर बुलन्दशहर।
- 3- मु0अ0स0 742/2018 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट थाना कोतवाली नगर बुलन्दशहर।
- 4- मु0अ0स0 1246/17 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली नगर बुलन्दशहर।
- 5- मु0अ0स0 1247/17 धारा 41/102 सीआरपीसी थाना कोतवाली नगर बुलन्दशहर।
- 6- मु0अ0स0 236/2024 धारा 380 भादवि थाना कोतवाली नगर बुलन्दशहर।

अभियुक्त दानिश का आपराधिक इतिहास-

- 1- मु0अ0स0 620/23 धारा 379/411 भादवि थाना को0नगर बुलन्दशहर।
- 2- मु0अ0स0 632/23 धारा 380/411/457 भादवि थाना को0नगर बुलन्दशहर।
- 3- मु0अ0स0 429/23 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना शिकारपुर बुलन्दशहर।
- 4- मु0अ0स0 236/24 धारा 380 भादवि थाना को0नगर बुलन्दशहर।

अभियुक्त अरमान का आपराधिक इतिहास-

- 1- मु0अ0स0-236/2024 ,धारा 380 भादवि थाना कोतवाली नगर बुलन्दशहर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- श्री अनिल कुमार शाही प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली नगर।
2. उ0नि0 श्री दर्पण चौधरी, उ0नि0 श्री मुनेशपाल
3. है0का0 राहुल कुमार, है0का0 सोनू पवार, का0 मनोज कुमार

